न्यायालय जिला न्यायाधीश, सहारनपुर।
उपस्थितः–सतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPSP010002702026

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–12/2026

मौहम्मद हसन उर्फ हारून मुखिया पुत्र गुलाम साबिर मुखिया निवासी मौहल्ला मीरधान कस्ता सरसावा परगना सरसावा तहसील नकुड जिला सहारनपुर।
.....अपीलार्थी।

बनाम

1.सुधीर कुमार पुत्र सुरेश कुमार
2.रंजन कुमार पुत्र सुरेश कुमार
3.रितेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार
4.श्रीमती रूकमणि पत्नी सुरेश कुमार निवासीगण ग्राम छाप्पर परगना सुल्तानपुर तहसील नकुड जिला सहारनपुर।
5.रमेश कुमार पुत्र हरिराम निवासी मंदाकिनी विहार, जैन कालेज रोड, परगना तहसील व जिला सहारनपुर।
6.रविन्द्र कुमार पुत्र रामपाल सिंह
7.श्रीमती उर्मिला पत्नी रामपाल सिंह
8.प्रताप पुत्र ऋषिपाल
9.राजेन्द्र पुत्र ऋषिपाल
10.बिजेन्द्र पुत्र ऋषिपाल
11.इशु कोहली पुत्र वीरेन्द्र सिंह
12.नितिन कोहली पुत्र वीरेन्द्र सिंह
13.श्रीमती बबली पत्नी वीरेन्द्र सिंह
14.नवाब सिंह पुत्र राम चन्द्र
समस्त निवासीगण ग्राम छाप्पर परगना सुल्तानपुर तहसील नकुड सहारनपुर।
.....रेस्पोडेन्टस।
15.राव सईद अहमद पुत्र अब्दुल हसीन निवासी मौ0 मीरधान कस्बा, परगना सरसावा तहसील नकुड जिला सहारनपुर (मृतक)
.....औपचारिक पक्ष।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील, न्यायालय सिविल जज जू0डि0 हवाली सहारनपुर द्वारा मूल वाद सं0–2081/2023 सुधीर कुमार आदि बनाम मौ0 हसन मुखिया आदि में पारित आदेश दिनांकित 11.12.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके माध्यम से अवर न्यायालय द्वारा उक्त मूल वाद में अपीलार्थी की ओर से आदेश 39 नियम 4 व धारा–151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0–53ग को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2. संक्षेप में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध मूल वाद सं0–2081/2023 अवर न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु इस आधार पर योजित किया कि कस्बा सरसावा परगना सरसावा तहसील नकुड स्थित खसरा न0–120 मि0 खेवट न0–1 स्थित प्रश्नगत भूमि वादीगण के पूर्वजो द्वारा भोपाल जैन से बजरिये बैनामा दिनांकित 01.02.1974 क्रय की थी और वादीगण के पूर्वजो के देहान्त के उपरान्त वादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति पर

मालिक काबिज हुए व प्रश्नगत सम्पत्ति के बाबत वादीगण का नाम कागजात माल में दर्ज चला आता है। प्रतिवादीगण जो कि गिरोहबन्द व्यक्ति है, वादीगण की उक्त सम्पत्ति पर कब्जा करने की धमकी दे रहे है, जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रश्नगत सम्पत्ति चारो तरफ से आबादी से घिर चुकी है, जिस कारण वादीगण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की चारदीवारी कराने के उददेश्य से निर्माण सामग्री मंगाकर नीव खुदाई का कार्य शुरू किया गया तो प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी गयी और वह निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इस कारण वादीगण को यह वाद योजित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वाद योजित करते समय ही वादीगण की ओर प्रार्थनापत्र 6ग–2 अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद योजित किये जाने के स्तर पर ही वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त आदेश दिनांकित 01.11.2023 के द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में एक पक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति में वादीगण के अध्यासन व निर्माण में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध करते हुए, प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के विरूद्ध नोटिस निर्गत किया गया।

4. प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी/अपीलार्थीगण द्वारा अपना प्रतिवादपत्र प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनो का खण्डन किया गया तथा प्रतिवादपत्र के साथ ही प्रस्तुत मामले में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–4 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा खसरा न0–120 में हजरत मखदूम शाह की दरगाह स्थित होना तथा राजस्वत अभिलेखो में उक्त का इन्द्राज होने का तथ्य छिपाते हुए, खसरा न0–120 का विभाजन हुए बिना ही स्वॅय को गलत रूप से खसरा न0–120 के विशेष भाग का मालिक होना जाहिर करते हुए व खसरा न0–120 को मिनजुमला नम्बर होना जाहिर करते हुए, वादीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त करने अथवा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

5. वादी/अपीलार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति कागज सं0–64ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा उनके पूर्वजो के पक्ष में निष्पादित बैनामा में वर्णित सम्पत्ति के सन्दर्भ में वाद योजित किया गया है। दरगाह मखदूम शाह से वादीगण का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। दरगाह जो वादीगण की सहखातेदार है, वह इस वाद में पक्षकार नहीं है। वादीगण द्वारा कोई तथ्य न्यायालय से छिपाया नहीं गया है।

6. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 व उसके विरूद्ध प्रस्तुत आपत्तियो के सन्दर्भ में सुनने के उपरान्त आदेश दिनांकित 11.12.2025 द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ही यह प्रकीर्ण अपील योजित की गयी है।

7. अपीलार्थी द्वारा अपील में आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया गया है और मात्र सरसरी तौर से आदेश पारित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय किसी भी बिन्दु पर कोई अवधारण नहीं दी गयी है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है। उक्त आधार पर अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

8. मैंने प्रस्तुत मामले में उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आक्षेपित आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अवर न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा कस्बा सरसावा परगना तहसील नकुड जिला सहारनपुर स्थित खसरा न0–120 मि0 खेवट सं0–1 की भूमि उनके पूर्वजो द्वारा बैनामा दिनांकित 14.03.1974 के द्वारा क्रय किया जाना तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त स्वॅय को उक्त भूमि का मालिक काबिज होना व उक्त तथ्य का इन्द्राज राजस्व अभिलेखो में होना जाहिर करते हुए तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त सम्पत्ति से उन्हे बेदखल करने की धमकी देने व वादीगण को उनके पूर्वजो से प्राप्त उक्त सम्पत्ति की चार दीवारी करने से रोकने के कारण, अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह वाद योजित किया गया और अपने कथन के समर्थन में वादीगण की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष बैनामा दिनांकित 14.03.1974 की छाया प्रति, प्रश्नगत सम्पत्ति के सन्दर्भ मे खसरा, खतौनी, शजरा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रपत्रो के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादीगण को खसरा न0–120 में रकबई 0.236 है0 का मालिक दर्शित होना पाते हुए, आदेश दिनांकित 01.11.2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है।

10. उक्त प्रकरण में उक्त अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण की ओर से आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित के माध्यम से निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ही यह प्रकीर्ण अपील योजित की गयी है।

11. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत खसरा न0–120 की भूमि नोन जेड ए की भूमि में है, जिसका कुल रकबा 3.176 है0 है और उक्त भूमि में 2.735 है0 में हजरत मखदूम शाह की दरगाह स्थित होने का तथ्य राजस्व अभिलेखो में भी दर्ज है। प्रस्तुत मामले में वादीगण की ओर से प्रस्तुत शजरा के अनुसार ही प्रश्नगत खसरा नम्बर का विभाजन न होना दर्शित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत बैनामा के अनुसार भी खसरा न0–120 मिनजुमला सम्पत्ति का भाग क्रय किया जाना जाहिर होता है। वादीगण अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश के प्रकाश निर्माण करने की धमकी दे रहे है तथा वह प्रश्नगत सम्पत्ति के एक विशेष भाग पर कब्जा करना चाहते है।

12. उक्त सन्दर्भ में अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत मामले में इस स्तर तक प्रार्थनापत्र कागज सं0–6ग–2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का गुण दोष के आधार पर निस्तारण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्षित किया गया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र में जो बिन्दु उठाये गये है उनके सन्दर्भ में प्रार्थनापत्र कागज सं0–6ग–2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1व 2 सी0पी0सी0 के गुण दोष पर सुनवाई के दौरान विचार किया जायेगा।

13. इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी को उपरोक्त समस्त बिन्दुओ पर प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र कागज सं0–6ग–2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1व 2 सी0पीसी0 के गुण दोष पर सुनवाई के स्तर पर बल देने का अवसर प्राप्त है और अपीलार्थीगण द्वारा उक्त स्तर पर उठाये गये सभी बिन्दुओ पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए, प्रार्थनापत्र 6ग–2 अन्तर्गत

आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय ऐसा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आक्षेपित आदेश का आवलम्ब लेते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई परिवर्तन किया गया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश में इस स्तर पर अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं है। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील निरस्त किये जाने तथा आक्षेपित आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.12.2025 पुष्ट किया जाता है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है प्रार्थनापत्र कागज सं0–6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 के सन्दर्भ में उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण अन्दर एक माह करना सुनिश्चित करे।

पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.04.2026 उपस्थित हो।

इस आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस प्रतिप्रेषित की जाये।

(सतेन्द्र कुमार)
दिनांक 08.04.2026 **जिला न्यायाधीश, सहारनपुर।**
J.O. CODE- UP 1891

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतेन्द्र कुमार)
दिनांक 08.04.2026 **जिला न्यायाधीश, सहारनपुर।**
J.O. CODE- UP 1891